भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3953
जिसका उत्तर बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

3953. श्री गौतम गंभीर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसे मामले में कोई जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी क्या परिणाम रहे हैं और मामले-वार दोषसिद्ध लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा न्यायपालिका से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : न्यायेपालिका में भ्रष्टागचार से निपटने के मुद्दे को न्यादयपालिका द्वारा अपने आप ही संबोधित किया जाना है क्योंकि भारतीय संविधान के अधीन यह एक स्व तंत्र अंग है। उच्चातम न्याधयपालिका में जवाबदेही 7 मई, 1997 को आयोजित उच्चसतम न्याायालय की अपनी पूर्ण न्याधयालय की बैठक में अंगीकृत'आंतरिक प्रक्रिया" के माध्य्म से रखी जाती है। "आंतरिक प्रक्रिया" के अनुसार, उच्चठतम न्या7यालय के न्याययाधीशों और उच्चच न्यारयालय के मुख्यप न्याययमूर्तियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्तच करने के लिए भारत के न्या9यमूर्ति सक्षम हैं। इसी प्रकार, उच्च न्या यालय के न्याायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्तर करने के लिए उच्च, न्याायालय के मुख्यक न्या यमूर्ति सक्षम हैं। इसके अतिरिक्तभारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार, जिला न्याययालय और उसके अधीनस्थस न्याइयालयों पर नियंत्रण उच्चर न्यावयालय में निहित होता है।

भ्रष्टा चार के आरोप के संबंध में प्राप्तइ शिकायतें और अभ्याचवेदन समुचित कार्रवाई हेतु , यथास्थि ति भारत के मुख्यर न्याशयमूर्ति या संबद्ध उच्चय न्याकयालय के मुख्यै न्यास,यमूर्ति निपटाए जाते हैं। इसी प्रकार , अधीनस्थस न्याययपालिका के सदस्यव के विरुद्ध प्राप्ते शिकायतें/अभ्यारवेदन समुचित कार्रवाई हेतु संबद्ध उच्च न्यानयालय के महा रजिस्ट्राेर कोप्रेषित किए जाते हैं।

(ग), (घ) और (ड.) : उपरोक्तज(क) और (ख) को ध्या न में रखते हुए प्रश्ना ही नहीं उठता।

****